उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 –अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ– 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U31901UP1985SGC007135

संख्या:- I/42326/2026 - PAUPRV-HR0HR03/8/2026-SO HR-03 दिनांक:- 23.02.2026

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 (यथा संशोधित) (परिचालकीय संवर्ग की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता) तथा "U.P. State Electricity Board Sub-ordinate Electrical & Mechanical Engineering Service Regulation-1972" (यथा संशोधित), अद्यतन संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं० I/33414/2025 उनिलि/रिफॉर्म/R002-JE(E)(M)/Comp.No. 71051 दिनांक 06.12.2025, कार्यालय ज्ञाप सं० 175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता (वि० एवं याँ०) विनियमावली/2024 दिनांक 08.08.2024 सपठित का०ज्ञा०सं० 272-उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता (वि० एवं याँ०) विनियमावली/2024 दिनांक 30.12.2024 एवं उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा अनुभाग -2 की अधिसूचना संख्या 872/24-पी-2-2023-63 (नियुक्ति)-2011 दिनांक 03.11.2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत श्रेणी पी-4, पी-5 एवं पी-6 के कुशल परिचालकीय कार्मिक जो दिनाँक 01.07.2025 तक Member of Operating Staff (Skilled) के रूप में स्थायी हों तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, से अवर अभियन्ता (सा०श्रे०) (वि० एवं याँ०) के 25 % कोटे के अन्तर्गत 80 रिक्त पदों (रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार एवं परिस्थितिनुसार परिवर्तनीय है) पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप **(संलग्नक - 1, 2 एवं क)** में आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त पदों हेतु अर्ह एवं इच्छुक कार्मिकों द्वारा आवेदन पत्र (यथा वांछित संलग्नकों सहित) अपने नियंत्रक अधिकारी (जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम न हो) को प्रस्तुत किये जाएंगे। सम्बन्धित ताप/जल विद्युत गृह के नियंत्रक/नोडल अधिकारी द्वारा आवेदकों से प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार जाँचोपरान्त सत्यापित कर परियोजना प्रमुख कार्यालय में तत्काल जमा कराना होगा। परियोजना प्रमुख कार्यालय स्तर से समस्त अभिलेखों को संगत विनियमावली के अनुसार जाँचोपरान्त, परियोजना प्रमुख कार्यालय की संस्तुति के साथ, विवरण सूची निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक - 3)** तथा आवेदन पत्र **(संलग्नक - 1, 2 एंव क)** **हार्ड कॉपी में**, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-03), कक्ष सं० 902, 9वां तल, शक्ति भवन विस्तार, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन नि० लि०, लखनऊ को **दिनांक 20.03.2026** तक उपलब्ध कराये जाएंगे तथा आवेदनों की विवरण सूची संलग्न प्रारूप **(संलग्नक-3)** की **सॉफ्ट कॉपी Excel Format में** ई-मेल आई०डी० **se.hr_03.hr@uprvunl.org** पर दिनांक **20.03.2026** तक उपलब्ध करायी जायेगी। **दिनांक 20.03.2026 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा, अत: ससमय आवेदनों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।** कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जाँच, कार्मिकों के विवरण का संकलन कराने हेतु परियोजना प्रमुख परियोजना स्तर पर आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी भी नामित कर सकते हैं।

नोट :- निगम इस पदोन्नति प्रक्रिया को, बिना किसी पूर्व सूचना के, प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर, निरस्त करने का अधिकार रखता है तथा निरस्त करने पर किसी को हुई किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी। पदोन्नति प्रक्रिया में किसी भी आपत्ति के निस्तारण एवं अन्य बातों के सम्बन्ध में, पदोन्नति हेतु गठित समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

संलग्नक : यथोपरि (संलग्नक - 1, 2, 3 एवं क)।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य/वित्त), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ अफसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक, ओबरा / अनपरा / हरदुआगंज / पनकी / पारीछा/ जवाहरपुर ताप विद्युत गृह को संगत विनियमावली अनुभव तथा प्रमाण पत्रों के अंको के निर्धारण सम्बन्धी विनियम, कार्यालय ज्ञाप संख्या-50-उनिलि/रिफार्म/विनियम:168-27/2016 दिनांक 08.03.2016, का०ज्ञा०सं०-175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि० एवं याँ) विनियमावली/2024 दिनॉक 08.08.2024 सपठित का०ज्ञा०सं० 272-उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता (वि० एवं याँ०) विनियमावली/2024 दिनांक 30.12.2024 एवं कार्यालय ज्ञाप सं० I/33414/2025 दिनांक 06.12.2025, तथा 06-उनिलि/रिफार्म/विनियम:157- 25/2013 दिनॉक 16.01.2014 की प्रति तथा अंको के निर्धारण संबन्धी प्रारूप **(संलग्नक - 3)** एवं **"अनुभव-अंक प्रमाण पत्र" (संलग्नक-क)** इस कार्यालय ज्ञाप के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि परियोजना में कार्यरत कार्मिकों को उपरोक्तानुसार सूचित कराने, उक्त कार्यालय ज्ञाप नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने एवं वे कार्मिक जो उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापों के अनुसार अर्हतायें, शर्ते एवं नियमित 10 वर्ष की सेवा दिनाँक 01.07.2025 को पूर्ण करते हों, के द्वारा प्रस्तुत उनके आवेदन पत्र **(संलग्नक -1, 2 एवं क)** तथा संगत वाँछित अभिलेखों को उपरोक्तानुसार श्रेणी पी-4, पी-5 एवं पी-6 पद से सम्बन्धित वर्तमान पदनाम/संशोधित पदनाम अर्हता एवं अन्य विवरण को भली-भांति संज्ञान में लेते हुए इस कार्यालय ज्ञाप के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक-3)** में संपूर्ण विवरण तथा निगमादेशानुसार विभिन्न स्तम्भों में अंक अंकित कराते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-03), कक्ष सं० 902, 9वां तल, शक्ति भवन विस्तार, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन नि० लि०, लखनऊ को दिनांक **20.03.2026** एवं निर्धारित प्रारूप **'संलग्नक-3'** के विवरण की एक सॉफ्ट कॉपी **Excel Format में ई-मेल आई०डी० se.hr_03.hr@uprvunl.org** पर दिनांक **20.03.2026** तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **दिनांक 20.03.2026 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा, अत: ससमय आवेदनों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।** आवेदकों के आवेदन पत्र एवं सुसंगत अभिलेख पृथक-पृथक फोल्डर में अवस्थित कर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2), मानव संसाधन/पी0पी0एम0एम0/जानपद/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/आर0 एण्ड एम0/ पर्यावरण एवं सुरक्षा इकाई/न्यू कोल ब्लॉक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग लखनऊ, को भी क्रम सं0 3 अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक **20.03.2026** तक भेजना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत (उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि0), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वे कर्मचारी जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में तैनात हों, को उपरोक्तानुसार सूचित करने का कष्ट करें।
6. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), जल स्कन्ध, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन नि०लि० को इस आशय से प्रेषित कि जल स्कन्ध, उ०नि०लि० में तैनात तापीय स्कन्ध के कार्मिकों के सम्बन्ध में बिन्दु सं० 03 अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक **20.03.2026** तक भेजना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0नि0लि0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को निगम की वेबसाइड www.uprvunl.org पर अपलोड करवाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. सूचना-पट, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(देवेश कुमार विश्वकर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-03)

"संलग्नक - 1"

परिचालकीय संवर्ग (कुशल) के श्रेणी पी-4, पी-5 एवं पी-6 कार्मिकों से प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (वि० एवं याँ)(सामान्य श्रेणी) पद पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगायें जो नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

1. पूरा नाम (हिन्दी में): .....

   (अंग्रेजी में): .....

2. पिता का नाम (हिन्दी में): .....

   (अंग्रेजी में): .....

3. (अ) पत्राचार का पता: .....

   .....

   (ब) स्थायी पता: .....

   .....

4. जन्मतिथि: .....

5. पदनाम, सैप आई०डी० एवं इम्प्लाई कोड: .....

6. वर्तमान तैनाती

   (खण्ड/मण्डल/इकाई/परियोजना का नाम) : .....

(अ) शैक्षिक योग्यता विवरण (आदेश सं0 06-उनिलि/रिफार्म/विनियम:157-25/2013 दि0 16.01.2014 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा मान्य नहीं है इसलिये उसका उल्लेख न करें):-

कक्षा	विद्यालय का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक का प्रतिशत (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
हाई स्कूल (कक्षा-10)					
इण्टरमीडिएट					

अन्य					

(ब) क्या कार्मिक द्वारा हाई स्कूल (कक्षा 10) की परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की गयी है?
(हाँ/नहीं).....

(स) तकनीकी योग्यता विवरण (आदेश सं० 06-उनिलि/रिफार्म/विनियम:157-25/2013 दि० 16.01.2014 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा मान्य नही है इसलिये उसका उल्लेख न करें): -

ट्रेड/डिप्लोमा/ डिग्री का विवरण	ट्रेड/विधा	संस्था का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
आई०टी०आई०					
डिप्लोमा					
डिग्री					

7. विभाग में पोषक संवर्ग (पी-4, पी-5 एवं पी-6) में दिनाँक 01.07.2025 तक की गयी सेवाओं का विवरण:-

खण्ड/मण्डल/इकाई का नाम	पद का नाम जिस पर कार्य किया।	स्तर (पी-4 पी-5, पी-6)	तिथि		01.07.2025 तक कुल अवधि (चयन वर्षों में)
			कब से	कब तक	

नोट:- अभ्यर्थी सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ, स्थाईकरण तिथि अंकित पृष्ठ एवं श्रेणी पी-4/पी-5/पी-6 के पद पर प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति तिथि के साथ अंकित पृष्ठ तथा सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापों एवं शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हता से सम्बन्धित अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र की नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

8. निलम्बन/दंड/पुरस्कार का विवरण यदि कोई हो, अन्यथा की स्थिति में "शून्य" अंकित करें:-

दंड/पुरस्कार का विवरण	निलंबन का समय कब से कब तक	दंड/पुरस्कार मिलने का कारण	खण्ड का नाम	टिप्पणी (संबधित अभिलेख की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

9. (अ) विभाग में कार्मिक की टी०जी०-2 पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से हुई है।
(हाँ/नहीं).....

(ब) पद जिस पर स्थायी हुए.....

(स) स्थायी होने की तिथि .....

(द) पत्र संख्या व दिनांक जिनके द्वारा स्थायी किये गये .....
(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

नोट:- अभ्यर्थी सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ, स्थाईकरण तिथि अंकित पृष्ठ एवं सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप की नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। **आवेदन पत्र में कहीं भी Whitener का प्रयोग/overwriting/cutting न करें।**

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
पदनाम.....एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही हैं और यदि इस प्रपत्र में दी गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाये तो मुझे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये अयोग्य मान लिया जाये। चयन/पदोन्नति के उपरान्त यदि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरा चयन निरस्त/ मुझे पदोन्नति से वंचित करते हुए मेरे पूर्व के कार्यरत पद पर प्रत्यावर्तित / पदावनत कर दिया जाए एवं मेरे विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

संलग्नक: यथोपरि।

दिनाँक: .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(पूरा नाम).....

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक नियमित अधिष्ठान में स्थाई रूप से संविलीनीकरण के फलस्वरूप निगम की सेवा शर्तों से नियंत्रित है तथा आवेदक द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण, आवेदक के मूल सेवा अभिलेखों से मिलान करने पर सही पाये गये है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के अभिलेख (दण्डसार) के अनुसार निलंबन/दण्ड नहीं मिला है/बिन्दु 8 पर दिये विवरण अनुसार मिला है।

नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर सहित
(अधिशासी अभियन्ता अथवा उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा)

महत्वपूर्ण नोट व निर्देश

1. अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपने नियंत्रक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें। नियंत्रक अधिकारी निगम कार्यालय ज्ञाप सं0:-I/42326/2026 दिनाँक:- 23.02.2026 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

2. उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की वेबसाइट www.uprvunl.org पर भी देखा जा सकता है।

3. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित की छायाप्रति, नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित कराते हुए संलग्न कर अवश्य प्रेषित करें:-

   - हाई स्कूल (कक्षा 10) की अंक तालिका (Marksheet)।
   - हाई स्कूल (कक्षा 10) का प्रमाण पत्र (Certificate)।
   - सर्विस बुक का प्रथम पृष्ठ।
   - नियुक्ति पत्र।
   - सर्विस बुक में प्रथम नियुक्ति का विवरण के अंकन की छायाप्रति।
   - सर्विस बुक का स्थाईकरण तिथि अंकित पृष्ठ।
   - स्थाईकरण का कार्यालय ज्ञाप।
   - सर्विस बुक का पदोन्नति अंकित पृष्ठ (यदि लागू हो)।
   - पदोन्नति का कार्यालय ज्ञाप (यदि लागू हो)।
   - आई०टी०आई०/डिप्लोमा/डिग्री की प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका (Marksheet)।
   - आई०टी०आई०/डिप्लोमा/डिग्री का प्रमाण पत्र (Certificate)।
   - अध्ययन अवकाश का अनुमति पत्र (यदि लागू हो)।
   - अप्रतिवेदन प्रमाण पत्र (NRC) (यदि लागू हो)।
   - यदि अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि या किसी अन्य बात के सम्बन्ध में प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति हो, तो उससे सम्बन्धी शपथ पत्र (Affidavit)। (मूल रूप में)
   - अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि लागू हो)।

4. कार्मिकों को आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर, समस्त संलग्नकों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नियंत्रक अधिकारी को ससमय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियंत्रक अधिकारी द्वारा आवेदको से प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार जाँचोपरान्त सत्यापित कर परियोजना प्रमुख कार्यालय में तत्काल जमा कराना होगा।

नियंत्रक अधिकारियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

1. पूर्व में पदोन्नति हेतु परियोजना द्वारा प्रेषित किये गये कार्मिकों के अभिलेखों में कमी एवं त्रुटि के कारण पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होता पाया गया है। अत: नियंत्रक अधिकारी पूरी तरह से आवेदन पत्र एवं सुसंगत अभिलेखों की जाँच कार्यालय ज्ञाप सं०:-I/42326/2026 दिनांक:- 23.02.2026 के अनुसार करेंगे एवं प्रत्येक सूचना यथा वांछित स्थिति में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. नियंत्रक अधिकारी कार्मिकों के समस्त अभिलेखों की छायाप्रति को मूलप्रति से भली भाँति मिलाते हुये, जाँचोपरान्त सत्यापित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे। नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं कार्यालय की मोहर आवेदन पत्र एवं समस्त संलग्न सुसंगत अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से अंकित/मुद्रित होनी चाहिए।
3. नियंत्रक अधिकारी उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारित करेगें जो निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता (वि0 एवं या0) विनियमावली/2024, दिनांकः 08.08.2024 के अनुसार पदोन्नति हेतु अर्हता रखते हैं (मुख्य रूप से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अर्हता)। अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन अग्रसारित करने की दशा में नियंत्रक अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है। अतः नियंत्रक अधिकारी आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय, अर्हता की भली भाँति जाँच करना सुनिश्चित करेंगें।
4. नियंत्रक अधिकारी द्वारा **"अनुभव-अंक प्रमाण पत्र" (संलग्नक-क)** में कार्मिक के अनुभव के अंको की गणना सावधानीपूर्वक एवं सही-सही की जानी चाहिए। नियंत्रक अधिकारी द्वारा की गयी गणना के अनुसार प्रदत्त अनुभव के अंक के आधार पर ही मुख्यालय स्तर पर पदोन्नति की अग्रेतर कार्यवाही निष्पादित की जायेगी। अंको की गणना में किसी भी तरह की त्रुटि के लिये नियंत्रक अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा ऐसी स्थिति में नियंत्रक अधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।
5. नियंत्रक अधिकारी द्वारा "वार्षिक गोपनीय आख्या/दण्ड का सार" का विवरण (संलग्नक-2) में सूचना यथा वांछित स्थिति में उपलब्ध करायी जानी है। संलग्नक-2 के बिन्दु सं० 07 में सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने की दशा में ***"सत्यनिष्ठा प्रमाणित है"*** **नीली स्याही से अंकित करें** अथवा यदि सत्यनिष्ठा रोकी गयी है तो ***"सत्यनिष्ठा रोकी गयी है"*** **लाल स्याही से अंकित** करते हुए सत्यनिष्ठा रोके जाने के कारणों को गोपनीय तरीके से संलग्न कर प्रेषित करें।
6. नियंत्रक अधिकारी द्वारा "वार्षिक गोपनीय आख्या/दण्ड का सार" का विवरण (संलग्नक-2) के बिन्दु सं० 08 में यदि कार्मिक के विरूद्ध कोई जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है तो ***"कोई जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है"*** **नीली स्याही से अंकित करें** अथवा यदि कार्मिक के विरूद्ध कोई जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है तो ***"जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है"*** **लाल स्याही से अंकित** करते हुए लम्बित जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण गोपनीय तरीके से संलग्न कर प्रेषित करें।
7. नियंत्रक अधिकारी द्वारा "वार्षिक गोपनीय आख्या/दण्ड का सार" का विवरण (संलग्नक-2) के बिन्दु सं० 06 में प्रतिवेदक, समीक्षक एवं अंतिम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्रेणी का विवरण स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिये। किन्हीं कारणोवश किसी वर्ष किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रविष्टि अंकित किया जाना सम्भव न होने की दशा में वह प्रविष्टि परिषदादेश सं0 874-का0वि0नी0/रा0वि0प0 दिनांक 06.07.1993 के अनुसार "ब्लैंक" पढ़ी जायेगी। इस सम्बन्ध में उक्त अवधि का **"अप्रतिवेदन प्रमाण पत्र"** नियंत्रक अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जायेगा।

8. यदि कार्मिक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया है तो इस सम्बन्ध में अध्ययन अवकाश का अनुमति पत्र तथा उक्त अवधि का अप्रतिवेदन प्रमाण पत्र नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रेषित किया जाना चाहिये।
9. नियंत्रक अधिकारी द्वारा कार्मिकों के आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित भली भाँति जाँचोपरान्त, सत्यापित कर मूलरूप में परियोजना प्रमुख कार्यालय को तत्काल प्रेषित किये जायेगें। नियंत्रक अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को सीधे निगम मुख्यालय को प्रेषित नहीं किया जायेगा।
10. निगमादेश सं० I/33414/2025 दिनांक 06.12.2025 में अंकित "Office" शब्द का तात्पर्य निम्न होगा-

" कार्मिक की परियोजना पर तैनाती के दौरान परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य आवंटन की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी कार्यालय (Office) में सम्बद्धता अवधि को अनुभव की गणना में सम्मिलित किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त किसी कार्यालय (Office) में सम्बद्धता अवधि को अनुभव की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना है। "

अत: इस सम्बन्ध में अंको की गणना के साथ Office से सम्बद्धता की स्थिति में इसके विवरण संबंधी अभिलेख भी आवेदन पत्र के संलग्नक-क के साथ संलग्न किये जायें।

"संलग्नक – 2"

वार्षिक गोपनीय आख्या/दण्ड का सार

1. कार्मिक का नाम :.....
2. जन्म तिथि :.....
3. पिता का नाम :.....
4. पदनाम, सैप आई0डी0 एवं इम्प्लाई कोड :.....
5. वर्तमान तैनाती :.....
6. गत दस (10) वर्षों की वार्षिक चरित्र पंजिका प्रविष्टियों का सार :

क्र0सं0	वर्ष	अवधि		प्रदत्त श्रेणी का विवरण			यदि दण्ड दिया गया हो तो विवरण
				प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी	
1	2015–16	01.04.2015	31.03.2016				
2	2016–17	01.04.2016	31.03.2017				
3	2017–18	01.04.2017	31.03.2018				
4	2018–19	01.04.2018	31.03.2019				
5	2019–20	01.04.2019	31.03.2020				
6	2020–21	01.04.2020	31.03.2021				
7	2021–22	01.04.2021	31.03.2022				
8	2022–23	01.04.2022	31.03.2023				
9	2023–24	01.04.2023	31.03.2024				
10	2024–25	01.04.2024	31.03.2025				

(**नोट**:- यदि कार्मिक का किसी भी अवधि का अभिमत **"खराब/असंतोषजनक"** है, तो लाल स्याही से अंकित करें।)

7. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की स्थिति :.....
(**नोट**:- सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने की दशा में **"सत्यनिष्ठा प्रमाणित है"** नीली स्याही से अंकित करें अथवा यदि सत्यनिष्ठा रोकी गयी है तो **"सत्यनिष्ठा रोकी गयी है"** लाल स्याही से अंकित करते हुए सत्यनिष्ठा रोके जाने के कारणों को गोपनीय तरीके से संलग्न कर प्रेषित करें।)

8. लम्बित जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति :.....
(**नोट**:- यदि कार्मिक के विरूद्ध कोई जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है तो **"कोई जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है"** नीली स्याही से अंकित करें अथवा यदि कार्मिक के विरूद्ध कोई जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है तो **"जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है"** लाल स्याही से अंकित करते हुए लम्बित जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण गोपनीय तरीके से संलग्न कर प्रेषित करें।)

नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम/मुहर सहित

"संलग्नक-3"

Proforma for P-4, P-5 & P-6 selection for promotion JE(Ordinary Grade)

S. N.	Name of Project	Name of Candidates	Father's Name	Date of Birth	Detail of Joining to UPSEB/ Nigam			Confirmation Details		Detail of P-4 Post			Total Continuous length of service in terms of completed selection years in Members of Operating staff (Skilled) reckoned from the date of joining at P4 to 01.07.2025	Experience (one mark for each year of service) Note:- marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and p6 in Power Station/Project sites (excluding Headquarter/Office)With out any interruption in service. (Experience shall be reckoned from the date of joining at P-4 to 01.07.2025) (Max. 35 Marks)	Academic Qualification / Technical Qualification		Total marks out of 100 Marks = (15+16+17)	Remarks (if any)
					Name of post	Date of Joining	Place of Posting	Name of post	Date of Confirmation	Name of post	Date of Joining on P-4 post	Place of Posting when appointed/ promoted as P-4			High School (Science & Maths 30 marks)	I.T.I /Higher Technical Qualifications(s) (Diploma/ Degree in Engineering) (35 Marks)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Note :-

Nigam O.M. No. 175/UNL/ Reform Dated : 08/08/2024 read with OM No. I/33414/2025- UNL/Reform Dated: 06/12/2025 के अनुसार अंक दिये जाएंगे।

Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under :-

(i)	High School (Science & Maths)	30 Marks
(ii)	I.T.I /Higher Technical Qualifications(s) (Diploma/ Degree in Engineering)	35 Marks
(iii)	Experience (one mark for each year of service) Note:- marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and p6 in Power Station/Project Sites (excluding Headquarter/Office) Without any interruption in service.	35 Marks

Member of Operating Staff (Skilled) from the category of P4, P5 & P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchari Varg Sewa vinayamavali, 1995 (as amended) who have confirmed and completed 10 years of Service. Provided there is no punishment/misc. advance awarded or disciplinary proceeding pending and there is no adverse reporting in the available Annual Confidential Reports for the past 10 years immediately Preceding. the selection.

Signature/Name/Seal of Controlling Officer

"संलग्नक-क"

अनुभव-अंक प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (कार्मिक का नाम), ...(पदनाम), पुत्र/पुत्री.....एम्पलॉई कोड..... वर्तमान तैनाती स्थल ..... के निम्नलिखित बिन्दु सं० 01 एवं 02 के अनुसार उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में परिचालकीय संवर्ग (कुशल) के श्रेणी पी-4, पी-5 एवं पी-6 कार्मिकों से 25 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) (वि0 एवं यॉ0) पद पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु दिनांक 01.07.2025 तक (चयन वर्षों में) कुल अनुभव के अंक .....(शब्दों में) ..... (अंकों में) हैं।

1. निगमीय नियमानुसार, The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation 1972 के प्रस्तर-17 के यथासंशोधित का0ज्ञा0सं0: I/33414/2025 उनिलि/रिफॉर्म/R002-JE(E)(M)/Comp.No. 71051 दिनांक 06.12.2025 एवं निगम के कार्यालय ज्ञाप सं० 50/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168-27/2016 दिनांक 08.03.2016.
2. का०ज्ञा०सं० I/33414/2025 दिनांक 06.12.2025 में इंगित "Office" शब्द के सम्बन्ध में ***"कार्मिक की परियोजना पर तैनाती के दौरान परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य आवंटन की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी कार्यालय (Office) में सम्बद्धता अवधि को अनुभव की गणना में सम्मिलित किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त किसी कार्यालय (Office) में सम्बद्धता अवधि को अनुभव की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना है।"***

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं मुहर सहित
(अधिशासी अभियन्ता अथवा उच्च स्तर के अधिकारी)

नोट:- नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार कार्मिक के अनुभव के अंको की गणना सावधानीपूर्वक एवं सही-सही की जानी चाहिए। नियंत्रक अधिकारी द्वारा की गयी गणना के अनुसार प्रदत्त अनुभव के अंक के आधार पर ही मुख्यालय स्तर पर पदोन्नति की अग्रेतर कार्यवाही निष्पादित की जायेगी। अंको की गणना में किसी भी तरह की त्रुटि के लिये नियंत्रक अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा ऐसी स्थिति में नियंत्रक अधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक: 06 –उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:157–25/2013 दिनाँक: 16/01/2014

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 28 दिसम्बर 2013 को संपन्न 157वीं बैठक में एजेण्डा आइटम सं0–25 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में वर्तमान में लागू समस्त संवर्गों की सेवा नियमावलियों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु यथानिर्धारित शैक्षिक अर्हता/अर्हताओं के संबंध में यह स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्जित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं।

सम्बन्धित विनियमावलियों तथा प्रशासनिक आदेशों के संगत प्राविधान उपरोक्त सीमा तक संशोधित मानें जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 06/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:157–25/2013 तद्दिनाँक ।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी) के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, ।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), मा0सं0/पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ (निदेशक मण्डल की 28 दिसम्बर 2013 को संपन्न 157वीं बैठक के एजेण्डा आईटम –25 के संदर्भ में)
8. अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0 1/2/3/4/5/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या – 50 /उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168–27/2016 दिनांक : 08/03/2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 04 फरवरी 2016 को संपन्न 168वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या: –27 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुसार एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी "The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation 1972" (अद्यतन संशोधित) विनियमावली के विनियम–17 में किये गये संशोधित आदेश सं0 08–उनिलि/रिफॉर्म/ विनियम:157–33/2013 दिनॉक: 16.01.2014 के प्रस्तर–17(1) (a)(iv) में यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव के लिये निर्धारित 35 अंकों के निर्धारण हेतु सम्बन्धित कार्मिक द्वारा "परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली –1995"(यथा संशोधित) की श्रेणी प–4, प–5 व प–6 के पदों पर बिना व्यवधान के की गयी सेवा अवधि के चयन वर्षों को ही केवल संज्ञान में लिया जाएगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या –50 /उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168–27/2016 तद्दिनाँक ।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. समन्वयक (पीपीएमएम), 7वां तल, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद/जानपद नव–परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमश:.....2/–

10. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0 1/2/3/4/5) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

28/03/16

(मोहम्मद तसनीम)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14 अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

पत्रांक: I/33414/2025-उनिलि/रिफॉर्म/R002-JE(E)(M)/Comp.No. 71051
दिनांक: 06-12-2025

कार्यालय ज्ञाप

निगम के ''आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन'' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.10.2025 को आयोजित तेरहवीं (13) बैठक में मद संख्या-13.3 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्नवत् आदेशित किया जाता है-

यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के तापीय स्कन्ध में यथाप्रभावी The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation-1972 के प्रस्तर-17 के यथासंशोधित का0ज्ञा0सं0: 175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि0 एवं यॉ0) विनियमावली/2024, दिनांक 08.08.2024 के स्तम्भ-2 में विनियम-17(1)(a) के अन्तर्गत तालिका की पंक्ति (iii) में वर्णित प्राविधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान			प्रतिस्थापित प्राविधान		
(1)			(2)		
(iii)	Experience (one mark for each year of service) **Note:** Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in **Thermal Power Station/Project** without any interruption in service.	35 marks	(iii)	Experience (one mark for each year of service) **Note:** Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in **Power Station/Project Sites (excluding Headquarter/ Office)** without any interruption in service.	35 marks

II- का0ज्ञा0सं0: 175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि0 एवं यॉ0) विनियमावली/2024, दिनांक 08.08.2024 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

III- उपरोक्त के फलस्वरूप यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के तापीय स्कन्ध में यथाप्रभावी 'The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical and Mechanical Engineering Service Regulation-1972 (as

amended)' उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी तथा विनियमावली के शेष अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: I/33414/2025-उनिलि/रिफॉर्म/R002-JE(E)(M)/Comp.No. 71051 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक(का0प्रबं0एवं प्रशा0 / तकनीकी / वित्त / परियोजना एवं वाणिज्य), यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीक्षा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झांसी/अलीगढ/कानपुर/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव परियोजना, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2), पी0पी0एम0एम0/न्यू कोल ब्लॉक, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0सी0-46 विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2), प्रगति इकाई, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक(का0एवं प्रशा0) / मुख्य अभियन्ता(परि0 एवं अनु0), जल विद्युत स्कन्ध, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक(चिकित्सा), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0-02/औ0सं0/वित्त/लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

06/12/25

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता(रिफॉर्म)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226 001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्या–175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि0 एवं यॉ) विनियमावली/2024 दिनांकः 08/08/2024

कार्यालय ज्ञाप

निगम के "आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में निहित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2024 को आयोजित चतुर्थ बैठक में मद संख्या–4.11 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में निम्नवत् आदेशित किया जाता है –

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation-1972 के प्रस्तर–17 के यथासंशोधित का0ज्ञा0सं0: 30/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः 179–179.29/2019 दिनांक 07.02.2019 के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तम्भ–2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

<table>
<tr><th>वर्तमान प्राविधान
(1)</th><th>प्रतिस्थापित प्राविधान
(2)</th></tr>
<tr><td>17. Selection for appointment to the JE (Ordinary Grade) by promotion:-

(1) For purpose of recruitment to the posts in the Ordinary Grade under regulation 5(b)(ii) a selection based on merit shall be made from the following:

(a) "Members of operating staff (skilled) from the category of P-4, P-5 & P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchari varg sewa vinayamavali, 1995" (as amended) who have confirmed and completed 10 years of service according to the following criteria on selection basis:-

"Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under:-

<table>
<tr><td>(i)</td><td>High School (Science & Maths)</td><td>30 marks</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering)</td><td>35 marks</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Experience (one mark for each year of service)
Note: Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in</td><td>35 marks</td></tr>
</table>
</td><td>17. Selection for appointment to the JE (Ordinary Grade) by promotion-

(1) For purpose of recruitment to the posts in the Ordinary Grade under regulation 5(b)(ii) a selection based on merit shall be made from the following:

(a) "Members of operating staff (skilled) from the category of P-4, P-5 & P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchari varg sewa vinayamavali, 1995" (as amended) who have confirmed and completed 10 years of service according to the following criteria on selection basis:-

"Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under:-

<table>
<tr><td>(i)</td><td>High School (Science & Maths)</td><td>30 marks</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering)</td><td>35 marks</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Experience (one mark for each year of service)
Note: Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in</td><td>35 marks</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान प्राविधान (1)	प्रतिस्थापित प्राविधान (2)
Thermal Power Station/Project without any interruption in service.	Thermal Power Station/Project without any interruption in service.

टिप्पणी:–

क) एक ही चयन वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के समान अंक प्राप्त होने पर श्रेष्ठता सूची उनके टी0जी0–।। के पद के लिए सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगी तथा वह कार्मिक श्रेष्ठता में मृतक आश्रित कोटे एवं श्रमिक से टी0जी0–।। के पद पर नियुक्त कार्मिकों से श्रेष्ठता में ऊपर होंगे।

ख) यदि उपरोक्त प्रक्रिया में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के अंक एक समान होते हैं तो निम्न फॉर्मूले के द्वारा नोरमलाईजेशन करते हुए श्रेष्ठता निर्धारित की जायेगी।

The normalization shall be done by the following formula:-

- **Actual Marks Obtained** $= M + \frac{[(X-m)S]}{s}$

- **Where M= The overall mean of the obtained marks.**
- **X= Raw marks obtained in written Examination.**
- **m= Mean of the particular subject.**
- **S= Standard deviation of all the marks obtained.**
- **s= Standard deviation of the particular subject.**

ग) यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता ITI में प्राप्त अंकों/प्रतिशत के अनुसार की जायेगी अर्थात जिस कार्मिक के प्राप्तांक/प्रतिशत अधिक होगें वह श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगें। यदि उसके उपरान्त भी कार्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता उनके कक्षा 10वीं में गणित में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान प्राविधान (1)	प्रतिस्थापित प्राविधान (2)
	अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता कक्षा 10वीं में विज्ञान में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी। घ) मृतक आश्रित कोटे एवं श्रमिक से टी0जी0–।। के पद पर नियुक्त कार्मिकों की श्रेष्ठता उनकी टी0जी0–।। के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार की जायेगी। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण तिथि समान होती है तो उस स्थिति में उन कार्मिकों की पारस्परिक श्रेष्ठता उनके कक्षा 10वीं में गणित में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी अर्थात जिस कार्मिक के प्राप्तांक अधिक होगें वह श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगें। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता कक्षा 10वीं में विज्ञान में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी।
Provided there is no punishment/misc. advance awarded or disciplinary proceeding pending and there is no adverse reporting in the available Annual Confidential reports for the past 10 years immediately preceding the selection.	**-No Change-**
The selection for these candidates shall be carried out through **"Vidyut Utpadan Sewa Ayog"**, and through committee as defined for selection at (b) (v) below. The interse seniority of canditates selected shall be in accordance to the merit in the list prepared by the above mentioned procedure.	The selection for these candidates shall be carried out through committee as defined for selection at (b) (v) below. The interse seniority of canditates selected shall be in accordance to the merit in the list prepared by the above mentioned procedure.

II- का0ज्ञा0सं0: 30/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः 179–179.29/2019 दिनांक 07.02.2019 की तालिका के स्तम्भ–2 में 17(1)(b) पर अंकित प्राविधान यथावत् रहेंगे।

III- उक्त चयन प्रक्रिया अग्रेतर पदोन्नति एंव वर्तमान में लम्बित पदोन्नति चयन वर्ष 2022–23 हेतु भी लागू होगी।

IV- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के सभी परियोजना प्रमुखों द्वारा उपरोक्त संशोधनों को, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं0: 08 – उप्रराविउसेआ/उनिलि/2022/पी–4/5/6/आपरेटिंगस्टाफ/चयन (प्रोन्नति) दिनांक: 10.01.2023 के संदर्भ में अपनी परियोजना पर कार्यरत समस्त अभ्यर्थियों को तदनुसार सूचित किया जाएगा तथा निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

V- उपरोक्त के फलस्वरूप "The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation-1972 (as amended)" उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी तथा विनियमावली के शेष अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या–175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि0 एवं यॉं) विनियमावली/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र /झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ जानपद नव–परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), प्रगति इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

08/08/2024

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

Scanned with OKEN Scanner

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्याः 272–उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता (वि0 एवं याँ) विनियमावली/2024 दिनांकः 30/12/2024

कार्यालय ज्ञाप

निगम के "आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.11.2024 को आयोजित सप्तम (7) बैठक में मद संख्या–7.16 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation-1972 के प्रस्तर–17 के यथासंशोधित का0ज्ञा0संः 175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि0 एवं याँ0) विनियमावली/2024, दिनांक 08.08.2024 के स्तम्भ–2 में अंकित टिप्पणी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निम्नवत् किया जाता हैः–

सर्वप्रथम टिप्पणी–'क' के अनुसार विधावार (**Branch wise**) यथा विद्युत/याँत्रिक/इन्स्ट्रूमेन्ट की सूची तैयार की जायेगी तथा अन्तर्विधा (**Inter-branch**) की सूची तैयार करने हेतु सीधी भर्ती से नियुक्त अभ्यर्थियों हेतु क्रमशः टिप्पणी–'ख' व 'ग' तथा मृतक आश्रित व श्रमिक से प्रोन्नत अभ्यर्थियों हेतु टिप्पणी–'घ' के अनुसार अंतिम श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 272–उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता (वि0 एवं याँ) विनियमावली/2024 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), प्रगति इकाई, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), जल विद्युत स्कन्ध, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

30/12/24

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

कार्मिक का नाम _____

पदनाम एवं सैप आई डी०_____

"अप्रतिवेदन प्रमाण पत्र"

परिषदाज्ञा संख्याः 453-जी०ई०।चार।/रा०वि०प०-78/92-जी०एम०/76, दिनांक 16-02-78 सपठित परिषदाज्ञा संख्याः 1163-सी०एक्स०/रा०वि०प०/79-9 सी०एक्स०/78, दिनांक 06-06-79 के प्रस्तर-1 में निहित आदेशानुसार दिनांक .....से .....तक की अवधि की प्रविष्टि निम्नलिखित कारणवश अंकित नहीं की गई हैं:-

1- प्रविष्टि तीन माह से कम की थी।

2- प्रविष्टि अवधि में प्रतिवेदी अवकाश पर रहे।

3- प्रविष्टि अवधि के प्रतिवेदक/समीक्षक/अन्तिम अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

हस्ताक्षर

।सक्षम अधिकारी/संबंधित नियंत्रक अधिकारी।